108 (17)

कार्यालय आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन

कमांक 1073/रीडर-1/07 उज्जैन, दिनांक 10.2007 8-11-07

प्रति,

अवर सचिव
राजस्व मण्डल
म.प्र.ग्वालियर :उज्जैन कैम्पः

विषय :- कमिश्नर न्यायालय के प्रकरण कमांक 101/02-03/निगरानी (काशीराम विरूद्ध शासन) में पारित आदेश दिनांक 26.012.2003 को पुर्नविलोकन में लेने की अनुमति ।

--00--

पूर्व आयुक्त सुश्री स्वर्णमाला राघला द्वारा प्रकरण कमांक 101/02-03/निगरानी (काशीराम विरूद्ध शासन) में पारित आदेश दिनांक 26.12.2003 में प्रश्नाधीन भूमि पर शाला भवन, खेल का मैदान, आबादी के मकान, एक पुराना रेस्ट हाऊस, आम रास्ता जो प्रेमनगर से ग्राम चन्देसरी को जाने का मुख्य मार्ग है, साथ ही रास्ते के किनारे दोनो ओर कुछ मकान बने हुए है। उक्त बिन्दुओ पर विचार किये बगैर आदेश पारित करने के कारण आयुक्त न्यायालय के प्रकरण कमांक 101/02-03/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.12.2003 को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अक्तर्गत पुर्नविलोकन में लेने की अनुमति प्रदाब करने का कष्ट करें।

संलग्न :- प्र.कं.101/02-03/निगरानी
पृष्ठ कं. 01 से 04 आर्डरशीट/
05 से 23 आर्डर कमि0/अन्य पत्रादि
'बी' बीपार्ट- 1 से 16

अायुक्त, 9/11/07
उज्जैन संभाग, उज्जैन

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 1833-पीबीआर/2007 शासन / काशीराम जिला उज्जैन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-18	आवेदक की ओर से श्री कुलदीप सिंह शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक अनुपस्थित । आवेदक पक्ष को रिव्यु की अनुमति पर सुनागया । आयुक्त द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 101/02-03/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-12-2003 के पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई है क्योंकि उनके द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विचार किये बगैर उक्त आदेश पारित किया गया है । प्रकरण तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारोपरांत रिव्यु की अनुमति के पर्याप्त आधार होने से आयुक्त द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 101/02-03/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-12-2003 के पुनर्विलोकन की चाही गई अनुमति प्रदान की जाती है । अध्यक्ष	